क्रमांक-5676/15-7-1999/1

प्रेषक,

श्री अशोक मंडोरा,
सचिव,
बाल भारती विद्यालय।

सेवा में,

सचिव,
जिला अग्रवाल शिक्षा समिति,
सिविल लाईन्स के सामने हैदर,
पुराना बाजार गढ़ी दिल्ली।

विषय :- बाल भारती अंग्रेजी माध्यम स्कूल मोटर मोटर पहाड़ी मोड़ा सहारनपुर की मान्यता हेतु आवश्यक दस्तावेज भेजे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल भारतीय इण्टर कॉलेज मोटर पहाड़ी मोड़ा सहारनपुर की कार्यकारिणी गढ़ी दिल्ली ने मान्यता हेतु आवेदित दस्तावेज पर दिये जाने में यह राज्य सरकार की निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदित किये हैं :-

1. विद्यालय का संचालन कॉलेजों का समय समय पर संशोधन करता रहेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में जिला विद्यालय द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3. विद्यालय में या तो वे सब पुस्तकें रखना अनिवार्य/अनुमोदित कराया/अनुमोदित कराये हैं जिन पुस्तकों रहेंगे और उनसे अलावा पुस्तकें अग्रवाल जिला परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में निर्धारित कराई हैं जिन निर्धारित पुस्तकों से अधिक पुस्तकें नहीं लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान का दावा नहीं की जायेगी और यदि भूल में विद्यालय आवश्यक जिला परिषद से प्रथम लेकर जिला परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की मान्यता केन्द्रीय माध्यमिक जिला परिषद/बोर्ड/कॉलेज कार्य से प्राप्त नहीं आवेदित दस्तावेजों में मान्यता गढ़ी दिल्ली से प्रथम होगी है तो यह परीक्षा परिणामों में मान्यता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान आदि मान्यता की परीक्षा।

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राज्यीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई सेवाओं से कर्मचारियों से अनुमत वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से अन्य वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें जारी आदेश और अन्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के कर्मचारियों की अनुमत सेवा नियमित का पालन कराना करते रहेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगा।

8. विद्यालय का निरीक्षण निर्धारित पुरुष/महिलाओं से करा जायेगा।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन से बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- पुनश्चः यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय द्वारा किसी भूमि/भवन की व्यवस्था कर ली जायेगी।

3- उक्त पुनश्चः का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त पुनश्चः का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कुछ का शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदित मान्यता को वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक मंडोरा)
सचिव।

पृष्ठांक 5676/14/15-7-1999 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिला शिक्षा अधिकारी, पुराना बाजार दिल्ली।
2- अग्रवाल संचालन जिला शिक्षा समिति, मोड़ी सहारनपुर।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक मोड़ी सहारनपुर।
4- निरीक्षक, बाल भारती विद्यालय, पुराना बाजार दिल्ली।
5- प्रबन्धक, बाल भारती इण्टर कॉलेज मोटर सहारनपुर मोड़ी सहारनपुर।

आज्ञा से,

(अशोक मंडोरा)
सचिव।

Principal
Bal Bharati Sr. Sec.School
Motadhak Kotdwara (U.K.)